रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 2004/वैशाख 7, 1926
No. 203] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 27, 2004/VAISAKHA 7, 1926

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बीमा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

सा०का०नि० 287(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उपधारा (2) के खंड (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग-I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग-I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये नियम उन वर्ग-I अधिकारियों को लागू होंगे, जो 1 अप्रैल, 2002 से ही भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थायी स्थापन में पूर्णकालिक वेतन सेवा में हैं।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग-I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 के नियम 9-ग में निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक की अवधि के लिए ऐसे वर्ग-1 अधिकारियों को, जो 1 अप्रैल, 2002 को ही भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थायी स्थापन में पूर्णकालिक वेतन सेवा में थे, पी. एल. एल. आई. के बदले में 1 अगस्त, 1997 (पूर्व पुनरीक्षित) से ही वर्ग-I अधिकारियों को मजदूरी बिल का तीन प्रतिशत की एकमुश्त राशि का संदाय किया जाएगा :

परन्तु ऐसे वर्ग एक अधिकारी जिनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया था या जिनकी सेवाएं 1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003 की अवधि के बीच समाप्त कर दी गई थी या इन नियमों के अधीन उक्त एकमुश्त रकम के संदाय के पात्र नहीं होंगे"।

[फा. सं. 2(14)-बी. III/2002]

जी० सी० चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए अनुमोदन दे दिया है। तद्नुसार उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग-1 अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 का संशोधन किया जा रहा है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3(i) में सा.का.नि. 794(अ) तारीख 11-10-1985 में प्रकाशित किए गए थे तथा पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. सं. 960 (अ) तारीख 7-12-1987, सा.का.नि. सं. 493 (अ) तारीख 22-4-1988, सा.का.नि. सं. 872 (अ) तारीख 22-8-1988, सा.का.नि. सं. 711 (अ) तारीख 25-7-1989, सा.का.नि. सं. 816 (अ) तारीख 11-10-1990, सा.का.नि. सं. 324 (अ) तारीख 10-3-1992, सा.का.नि. सं. 53 (अ) तारीख 2-2-1994, सा.का.नि. सं. 597 (अ) तारीख 30-6-1995, सा.का.नि. सं. 94 (अ) तारीख 16-2-1996, सा.का.नि. सं. 286 (अ) तारीख 18-7-1996, सा.का.नि. सं. 530 (अ) तारीख 27-8-1998, और सा.का.नि. सं. 612 (अ) तारीख 30-8-1999, और सा.का.नि. सं. 794 (अ) तारीख 22-6-2000 के द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Insurance Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

G.S.R. 287(E).—In exercise of the powers conferred by clause (cc) of Sub-section (2) of Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985 namely :—

1. Short title and application.—

(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2004.

(2) These rules shall be applicable to those Class I Officers who were in the whole time salaried service in the permanent establishment of the Corporation as on the 1st April, 2002.

2. In Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, in rule 9C, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"For the period from 1st April 2002 to 31st March 2003, the Class I Officers who were in whole time salaried service in the permanent establishment of the Corporation as on 1st April, 2002 shall be paid one-time lumpsum payment of 3% of the wage bill of the Class I Officers, as on 1st August, 1997 (pre-revised), in lieu of PLLI :

Provided that the Class I Officers whose resignations had been accepted or whose services had been terminated during 01-04-2002 and 31-03-2003 shall not be eligible for the said lumpsum payment under these rules".

[F. No. 2(14)-Ins III/2002]
G. C. CHATURVEDI, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded approval to revise the terms and conditions of service of Class I Officers of Life Insurance Corporation of India with effect from the dates specified in the Notification. The Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Services) Rules, 1985 are being amended accordingly with effect from the dates as specified in the notification.

2. It is certified that no employee of Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by this notification being given retrospective effect.

NOTE : The principal rules were published in the Gazette of India Part II, Section 3(i) vide G.S.R. No. 794(E) dated 11-10-1985 and subsequently amended vide G.S.R. No. 960(E) dated 7-12-1987, G.S.R. No. 493(E) dated 22-4-1988, G.S.R. No. 872(E) dated 22-08-1988, G.S.R. No. 711(E) dated 25-07-1988, G.S.R. No. 816(E) dated 11-10-1990, G.S.R. No. 324(E) dated 10-03-1992, G.S.R No. 53(E) dated 02-02-1994, G.S.R. No. 597(E) dated 30-6-1995, G.S.R. No. 94(E) dated 16-02-1996, G.S.R. No. 286(E) dated 18-07-1996, G.S.R. No. 530(E) dated 27-08-1998, G.S.R. No. 612(E) dated 30-08-1999, and G.S.R. No. 794(E) dated 22-6-2000,

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

सा.का.नि. 288(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उपधारा (2) के खंड (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम, विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और लागू होना**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम, विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये नियम उन विकास अधिकारियों को लागू होंगे, जो 1 अप्रैल, 2002 से ही भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थायी स्थापन में पूर्णकालिक वेतन सेवा में हैं।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम, विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 के नियम 10-ख में 'टिप्पण' से पहले निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक की अवधि के लिए ऐसे विकास अधिकारियों को, जो 1 अप्रैल, 2002 को ही भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थायी स्थापन में पूर्णकालिक वेतन सेवा में थे, पी. एल. एल. आई. के बदले में 1 अगस्त, 1997 (पूर्व पुनरीक्षित) से ही विकास अधिकारियों को मजदूरी बिल का तीन प्रतिशत की एकमुश्त राशि का संदाय किया जाएगा :

परन्तु ऐसे विकास अधिकारी जिनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया था या जिनकी सेवाएं 1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003 की अवधि के बीच समाप्त कर दी गई थी या इन नियमों के अधीन उक्त एकमुश्त रकम के संदाय के पात्र नहीं होंगे "।

[फा. सं. 2(14)-बी. III/02 (i)]
जी. सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए अनुमोदन दे दिया है। तदनुसार उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 का संशोधन किया जा रहा है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i) में सा.का.नि. सं. 091(अ) तारीख 17-9-1986 में प्रकाशित किए गए थे तथा पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. सं. 962 (अ) तारीख 7-12-1987, सा.का.नि. सं. 871 (अ) तारीख 22-8-1988, सा.का.नि. सं. 968 (अ) तारीख 7-11-1989, सा.का.नि. सं. 825 (अ) तारीख 9-10-1990, सा.का.नि. सं. 55 (अ) तारीख 21-1-1992, सा.का.नि. सं. 325 (अ) तारीख 10-3-1992, सा.का.नि. सं. 54 (अ) तारीख 2-2-1994, सा.का.नि. सं. 596 (अ) तारीख 30-6-1995, सा.का.नि. सं. 95 (अ) तारीख 16-2-1996, सा.का.नि. सं. 287 (अ) तारीख 18-7-1996, सा.का.नि. सं. 531 (अ) तारीख 27-8-1998 और सा.का.नि. सं. 109 (अ) तारीख 22-6-2000 के द्वारा संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

G.S.R. 288(E).—In exercise of the powers conferred by clause (cc) of sub-section (2) of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986 namely :—

1. **Short title and application.**—

(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2004.

(2) These rules shall be applicable to those Development officers who were in the whole time salaried service in the permanent establishment of the Life Insurance Corporation of India as on the 1st April, 2002.

2. In Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986, in rule 10-B Before the 'Note' the following shall be inserted, namely :—

"For the period from 1st April, 2002 to 31st March, 2003, the Development Officers who were in whole time salaried service in the permanent establishment of the Life Insurance Corporation of India as on 1st April, 2002 shall be paid one-time lumpsum payment of 3% of the wage bill of Development Officers, as on 1st August, 1997 (pre-revised), in lieu of PLLI :

Provided that the Development Officers whose resignations had been accepted or whose services had been terminated during the period between the 01-04-2002 and 31-03-2003 shall be eligible for the said lumpsum payment ".

[F. No. 2(14)—Ins III/2002 (i)]
G. C. CHATURVEDI, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded approval to revise the terms and conditions of service of Development Officers of Life Insurance Corporation of India with effect from the dates specified in the Notification. The Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Services) Rules, 1986 are being amended accordingly with effect from the dates as specified in the Notification.

2. It is certified that no employee of Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by this Notification being given retrospective effect.

NOTE : The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3(i) vide G.S.R. No. 1091(E) dated 17-9-1986 and subsequently amended vide G.S.R. No. 962(E) dated 7-12-1987, G.S.R. No. 871(E) dated 22-8-1988, G.S.R. No. 968(E) dated 7-11-1989, G.S.R. No. 825(E) dated 9-10-1990, G.S.R. No. 55(E) dated 21-1-1992, G.S.R. No. 325(E) dated 10-03-1992, G.S.R. No. 54(E) dated 02-02-1994, G.S.R. No. 596(E) dated 30-6-1995, G.S.R. No. 95(E) dated 16-02-1996, G.S.R. No. 287(E) dated 18-07-1996, G.S.R. No. 531(E) dated 27-08-1998, and G.S.R. No. 109(E) dated 22-6-2000.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

सा.का.नि. 289(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उपधारा (2) के खंड (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग-III और वर्ग IV कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और लागू होना**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग-III और वर्ग IV कर्मचारी अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये नियम उन वर्ग-III और वर्ग IV कर्मचारी अधिकारियों को लागू होंगे, जो 1 अप्रैल, 2002 से ही भारतीय जीवन बीमा निगम को स्थायी स्थापन में पूर्णकालिक वेतन सेवा में हैं।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग-III और वर्ग IV कर्मचारी (सेवा के निबंधनों ओर शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 के नियम 13क में निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक की अवधि के लिए ऐसे वर्ग-III और वर्ग IV कर्मचारियों को, जो 1 अप्रैल, 2002 को ही भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थायी स्थापन में पूर्णकालिक वेतन सेवा में थे, पी. एल. एल. आई. के बदले में 1 अगस्त, 1997 (पूर्व पुनरीक्षित) से ही वर्ग-III और वर्ग IV कर्मचारियों को यथास्थिति मजदूरी बिल का तीन प्रतिशत की एकमुश्त राशि का संदाय किया जाएगा :

परन्तु ऐसे वर्ग एक अधिकारी जिनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया था या जिनकी सेवाएं 1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003 की अवधि के बीच समाप्त कर दी गई थी या इन नियमों के अधीन उक्त एकमुश्त रकम के संदाय के पात्र नहीं होंगे "।

[फा. सं. 2(14)-बी. III/2002 (ii)]
जी. सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ग-III और वर्ग IV कर्मचारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए अनुमोदन दे दिया है। तद्नुसार उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग-III और वर्ग IV कर्मचारियों (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 का संशोधन किया जा रहा है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i) में सा.का.नि. सं. 357(अ) तारीख 11 अप्रैल, 1985 में प्रकाशित किए गए थे तथा पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. सं. 18 (अ) तारीख 7-1-1986, सा.का.नि. सं. 1076 (अ) तारीख 11-9-1986, सा.का.नि. सं. 961 (अ) तारीख 7-12-1987, सा.का.नि. सं. 870 (अ) और 873 (अ) दोनों की तारीख 22-8-1998, सा.का.नि. सं. 515 (अ) तारीख 12-5-1989, सा.का.नि. सं. 509 (अ) तारीख 24-5-1990, सा.का.नि. सं. 620 (अ) तारीख 6-7-1990 सा.का.नि. सं. 628 (अ) तारीख 10-7-1990, सा.का.नि. सं. 338 (अ) तारीख 11-7-1991, सा.का.नि. सं. 697 (अ) तारीख 25-11-1991, सा.का.नि. सं. 46(अ) और 47 (अ) दोनों की तारीख 4-2-1993, सा.का.नि. सं. 746 (अ) तारीख 13-12-1993, सा.का.नि. सं. 55 (अ) तारीख 2-2-1994 सा.का.नि. सं. 595 (अ) तारीख 30-6-1995, सा.का.नि. सं. 669 (अ) तारीख 27-9-1995, सा.का.नि. सं. 102 (अ) तारीख 22-2-1996, सा.का.नि. सं. 261 (अ) तारीख 22-5-1998, सा.का.नि. सं. 532 (अ) तारीख 27-8-1998, सा.का.नि. सं. 445 (अ) तारीख 18-6-1999, और सा.का.नि. सं. 611 (अ) तारीख 30-8-1999 और सा.का.नि. सं. 357 (अ) तारीख 22-6-2000 के द्वारा संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

G.S.R. 289(E).—In exercise of the powers conferred by clause (cc) of Sub-section (2) of Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985 namely :—

1. Short title and application.—

(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2004.

(2) These rules shall be applicable to those Class III and Class IV Employees who were in the whole time salaried service in the permanent establishment of the Life Insurance Corporation of India as on 1st April, 2002.

2. In Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, in rule 13A, the following shall be inserted, namely :—

"For the period from 1st April, 2002 to 31st March, 2003, the Class III and Class IV Employees who were in whole time, salaried service in the permanent establishment of the Life Insurance Corporation of India as on 1st April, 2002 shall be paid one-time lumpsum payment of 3% of the wage bill of the Class III or Class IV Employees as the case may be as on Ist August, 1997 (pre-revised), in lieu of PLLI :

Provided that the said employees whose resignations had been accepted or whose services had been terminated during the period between the 1st April, 2002 to 31st March, 2003 shall not be eligible for the said lumpsum payment".

[F. No. 2(14)-Ins III/2002 (ii)]
G. C. CHATURVEDI, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded approval to revise the terms and conditions of service of Class III and Class IV employees of Life Insurance Corporation of India with effect from the dates specified in this Notification. The Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Services) Rules, 1985 are being amended accordingly with effect from the dates as specified in the Notification.

2. It is certified that no employee of Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by this Notification being given retrospective effect.

NOTE : The principal rules were published in the Gazette of India Extrordinary, Part II, Section 3(i) dated the 11th April, 1985 vide G.S.R. No. 357(E) and subsequently amended vide G.S.R. No. 18(E) dated 7-1-1986, G.S.R. No. 1076(E) dated 11-9-1986, G.S.R. No. 961(E) dated 7-12-1987, G.S.R. No. 870 (E) and 873(E) both dated 22-8-1998, G.S.R. No. 515(E) dated 12-5-1989, G.S.R. No. 509(E) dated 24-5-1990, G.S.R. No. 620(E) dated 6-7-1990, G.S.R. No. 628(E) dated 10-7-1990, G.S.R. No. 338(E) dated 11-7-1991, G.S.R. No. 697(E) dated 25-11-1991, G.S.R. No. 46(E) and 47(E) both dated 4-2-1993, G.S.R. No. 746(E) dated 13-12-1993, G.S.R. No. 55(E) dated 2-2-1994, G.S.R. No. 595(E) dated 30-6-1995, G.S.R. No. 669(E) dated 27-9-1995, G.S.R. No. 102(E) dated 22-2-1996, G.S.R. No. 261(E) dated 22-5-1998, G.S.R. No. 532(E) dated 27-8-1998, G.S.R. No. 445(E) dated 18-6-1999 and G.S.R. No. 611(E) dated 30-8-1999 and G.S.R. No. 357(E) dated 22-6-2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.